रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20
चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –4 ● कानपुर 16 से 28 फरवरी 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

संभावनायें प्रतिपल बदल रही हैं

जनवरी की तरह फरवरी का महीना भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बड़ा उथल पुथल वाला चल रहा है जो स्थिरता होनी चाहिये उसके दूर–दूर तक दर्शन नहीं हो रहे हैं अपितु कुछ नई नई बातें निकल निकल कर सामने आ रही हैं इसका परिणाम यह हो रहा है कि जो सम्भावनायें पूर्व में बलवती हो रही थीं धीरे धीरे उन सम्भावनाओं में निरन्तर परिवर्तन होता चला जा रहा है यह परिवर्तन क्यों हो रहा है यह आज चिन्तन का विषय नहीं है चिन्तन का विषय तो आज यह है कि इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो नई व्यवस्थायें जन्म ले रही हैं वह कहीं से भी हित कर नहीं लग रही हैं 9 जनवरी तक जो कुछ भी चला और जैसे भी चला वह निपट गया परन्तु उसके बाद जो परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है वह चौंकाने वाला नहीं है अपितु इसकी आशंका पहले ही जतायी गई थी कारण जो नौजवान इस आन्दोलन से जुड़े थे उनकी मानसिकता इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ावा देने के स्थान पर व्यक्तिगत बढ़ावे पर ज़्यादा थी जब तक आन्दोलन चल रहा था तब तक तो सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था परन्तु जैसे ही आन्दोलन अपनी अंतिम परिणिति को पहुंचने लगा हमारे साथियों की महत्वकाक्षायें जागृत होने लगीं ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ हो इतिहास साक्षी है कि जब तक पाने के लिए आन्दोलन किया जाता है तब तक तो आन्दोलन बहुत तेज़ी के साथ चलता है और जब ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ ही दिनों में प्राप्ति हो जायेगी तो आन्दोलन और आन्दोलन–कारियों के मध्य बिखराव पैदा होने लगता है।

हम ज़्यादा दूर न जाकर देश की आज़ादी के आन्दोलन पर एक दृष्टि डालें तो 1857 से प्रारम्भ हुआ यह आन्दोलन 1942 तक एक तारतम्य में चलता रहा और 1942 से लेकर 1947 तक का आन्दोलन मतभेदों और विरोधाभासों के बीच चलता रहा एक समय तो ऐसा आ गया जब जवाहर और पटेल को लेकर विभाजक रेखा तक खिंच गयी। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन में इसी का दर्शन हो रहा है सन् 2012 से लेकर 2017 तक जिन संगठनों ने एक साथ मिलकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया 9 जनवरी के बाद इन संगठनों में विभाजक रेखा स्पष्ट रूप से दिखायी पड़नी लगी है।

यद्यपि अक्टूकर 2017 से ही प्रपोज़ल के विषय को लेकर मतभिन्नता हो रही थी परन्तु किसी को यह अपेक्षा नहीं थी कि भारत सरकार 31 दिसम्बर 2017 की तिथि समाप्त होते ही बिना समय नष्ट किये 9 जनवरी की तिथि साक्षात्कार के लिए तय कर देगी। 21 दिसम्बर, 2017 से 8 जनवरी, 2018 तक आपस में तल्खी तो रही परन्तु वह उभर कर सामने नहीं आयी इस कारण यह था कि पूरे देश से बहुत सारे प्रपोज़ल भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये और भारत सरकार द्वारा इनमें मात्र 27 प्रपोज़लों को योग्य माना।

अब इन 27 में से भी मात्र 8 लोगों को ही अपनी बात रखने का अवसर दिया और यहीं से प्रारम्भ हुआ विघटन का अध्याय जो लोग 9 जनवरी 2018 को इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सामने गये उन्होंने अपने आप को योग्य और श्रेष्ठ घोषित किया जिन लोगों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला उनके मन में एक कचोट सी रही वह कह तो नहीं सके लेकिन अन्दर ही अन्दर रिसते रहे और चिकित्सा में यह बात सबलोग कहते हैं कि जो घाव पुराना हो जाता है वह नासूर बन जाता है।

9 जनवरी के बाद जब 20 फरवरी का दिन चर्चा में आया तो बहुत सारे वह व्यक्ति जिन्हें 9 जनवरी को अवसर नहीं मिला था वह गुटों में बंट गये, धड़े में बंटे यह लोग अपनी पीड़ायें एक दूसरे से बाटने लगे और प्रारम्भ हुआ एक दूसरे को लपेटने और घसीटने का कार्यक्रम संगठन टूटने लगे पदों में बंटवारे होने लगे जिन लोगों का कल तक वर्चस्व था आज वह हाशिये में ढकेल दिये गये थे, उनके लिये किये गये हर निर्णयों पर प्रश्न उठने लगे फलस्वरूप ऐसे लोगों का आहत होना लाज़मी था जो लोग एकता की बात कह रह थे आज वही एकता को कोस रहे थे ऊपरी मन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शुभकामनायें दे रहे थे परन्तु अन्दर ही अन्दर जो भाव थे वह बाहर नहीं निकाल पा रहे थे।

नेपथ्य ही प्रभावी आक्रामक नीति दिखेगी व्यवस्थित होगी व्यवस्था सम्भावनाओं में है परिवर्तन सकारात्क निर्णय की प्रतीक्षा

गज़ट के कुछ अंक पहले यह लिखा गया था कि मान्यता इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मिलेगी या व्यक्तियों को वह शंका आज स्पष्ट रूप से सामने आ रही है स्थिति यह है कि पूरे देश में घटकों में बंटे लोग अपने अपने स्तर से एक बार फिर भारत सरकार को प्रतिवेदन देने जा रहे हैं। इस बार यह लोग प्रतिवेदनों में क्या लिखेंगे किस स्तर की जानकारी देंगे इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है।

एक नई बात और हो रही है कुछ ऐसे दवा निर्माता जिन्होंने प्रपोज़ल तो नहीं भेजें थे परन्तु अब दावा कर रहे हैं कि वह भारत सरकार को यह बतायेंगे और सिद्ध भी करेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां कैसे और किस विधि से बनायी जाती है ? औषधियों के गुणात्मक विश्लेषण के सम्बन्ध में भारत सरकार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

इस तरह की नई नई बातें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किस तरफ़ ले जायेंगी इसका आंकलन करना इस परिदृश्य में थोड़ा मुश्किल नज़र आता है यदि इस स्थिति में बदलाव नहीं हुआ और लोग अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, तो कहीं यह कहावत चरितार्थ न हो जाये कि घर को लगी आग घर के ही चिराग़ से अभी तक भारत सरकार और इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के लोगों की मानसिकता इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में है वह लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से वर्षों से चले आ रहे इस आन्दोलन का पटाक्षेप हो और देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथों के भविष्य का निर्धारण हो साथ ही साथ देश को एक ऐसी चिकित्सा पद्धति मिल सके जिससे की रोगियों को रोग मुक्ति के लिए एक और विकल्प सामने हो।

परिस्थितियां कुछ भी हों परन्तु चिन्तित या परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि भारत सरकार का यह स्वीकारना कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं दी जाती है तब तक 21 जून, 2011 ही प्रभावी रहेगा अर्थात सम्भावनाओं के प्रति हम सचेत तो रहें परन्तु चिन्तित नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने के रास्ते खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे।

हमारे साथियों को मन की बन्द खिड़कियों को खोलना चाहिये जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी नियमितीकरण के नये झोंकों का आनन्द ले सकें, शुभ की कामना हो, इसी के साथ एक नई सुबह हो।

बोर्ड की आवश्यक व निणार्यक बैठक 17 फरवरी को

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता को लेकर इस समय पूरे देश में एक अजीबो ग़रीब चर्चा ने जन्म लिया है जो लोग इस आन्दोलन से जुड़े हैं धीरे–धीरे उनके कदम डगमाने लगे हैं जिन लोगों ने प्रपोज़ल भेजे थे और 9 जनवरी को उनका जो हश्र हुआ इससे उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, 21 दिसम्बर, 2017 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया को पत्र लिखकर यह सूचित करना कि मान्यता के प्रकरण में 21 जून, 2011 का आदेश प्रभावी है इससे पूरे देश में एक नई चिन्तन की व्यवस्था पैदा हो गयी है, यद्यपि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के पास कोई प्रपोज़ल नहीं भेजा है परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मान्यता के प्रकरण में वह अपना हस्तक्षेप निरन्तर बनाये हुए है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 21 दिसम्बर, 2017 को पत्र जारी कर इहमाई को स्थिति स्पष्ट कर दी है 9 जनवरी, 2017 को इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा आहूत साक्षात्कार के बाद जो स्थिति बनी है उससे 21 जून, 2011 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के पक्ष में जारी आदेश पर ही निर्णय होने की सम्भावनायें प्रबल हो गयी हैं इन सम्भावनाओं के बनते ही भविष्य की रणनीति बनाने हेतु बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रबन्ध समिति की एक अति आवश्यक व निर्णायक बैठक 17 फरवरी, 2018 को बुलायी गयी है इस दिन प्रबन्ध समिति द्वारा आने वाले भारत सरकार के निर्णय को किस प्रकार प्रयोग में लाया जायेगा इसके लिए क्या–क्या व्यवस्थायें होंगी ? विधालयों में इनकी क्या भूमिका होगी ? इस पर गम्भीर चर्चा की जायेगी, साथ ही साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों के निर्माण व विपणन के विषय पर भी गम्भीर मंथन होगा तथा नये निर्माण इकाईयों के लाइसेंस देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर भी गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

अनिश्चितता अभी भी जारी

वैसे तो अनिश्चितता कभी भी अच्छी नहीं होती है, परन्तु यदि अनिश्चितता के रहते अच्छे परिणाम आने की प्रतीक्षा हो तो ऐसी अनिश्चितता की की प्रतीक्षा बुरी नहीं होती इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सन्दर्भ में वर्तमान स्थिति जो संकेत दे रही है वे हमें कभी अनिश्चितता से बाहर निकालती हैं और कभी दीर्घकालीन अनिश्चितता की ओर ले जाती हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भाग्य ही कहेंगे कि जब से इस चिकित्सा पद्धति का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब से लेकर आज तक अनिश्चितता शब्द इससे विलग नहीं हो पा रहा है, कभी–कभी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जब लगने लगता है कि वर्षों की प्रतीक्षा और अनिश्चितता अब समाप्त होने वाली है परन्तु समय का चक्र कहें या विधि की विडम्बना जब–जब बात बनने को होती है कोई न कोई अड़चन या विघ्न जन्म ले लेता है।

10 महीने की प्रतीक्षा के बाद जब 9 जनवरी का अच्छा दिन आया तो देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथ मन ही मन इस बात को लेकर प्रसन्न थे कि जिन साथियों पर हमने भरोसा किया है हमारे वह योग्य साथी इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सामने अपने ज्ञान का वह कौशल दिखायेंगे जिससे कि कमेटी के सारे लोग उनकी वाणी से प्रभावित होंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में निर्णय लेने में ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे इसके साथ ही साथ वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता और प्रतीक्षा समाप्त हो जायेगी।

लोगों का अपने साथियों पर ऐसा विश्वास करना अनायास ही नहीं था क्योंकि पिछले 2 साल से मान्यता के विषय को लेकर जिस तरह का वातावरण निर्मित किया गया था उससे तो यही लगता था कि उनके साथी इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सामने जायेंगे और एक नायक की तरह सफल होकर बाहर आयेंगे उन्हें क्या पता था कि वातावरण निर्मित करना और योग्यता का निर्वाहन करना दो अलग अलग बाते है जो व्यक्ति योग्य होता है उसे अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए वातावरण की नहीं मंच की आवश्यकता होती है यदि मंच उपयुक्त हो तो योग्यता अपना प्रमाण देने में पीछे नहीं रहती है। परन्तु जब मात्र सारा समय सिर्फ वातावरण तैयार करने में लगा दिया जायेगा तो परिणाम हवाहवाई ही रहते है साथ साथ अनिश्चिता का अन्त भी नहीं होता है।

9 जनवरी 2018 की घटना ने सबको झकझोर करके रख दिया जैसे ही इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी को फेस करके बाहर निकले और अपनी – अपनी चर्चा करने लगे। और यह बात निकल कर सामने आने लगी कि जो लोग आज अन्दर गये थे उनके द्वारा इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सदस्यों को संतुष्ट नहीं किया जा सका तो जो अभी तक संतुष्ट बैठे थे उनका मन भी यह कहने लगा कि अनिश्चितता अभी टली नहीं है जो होना था वह हो गया। हम सभी इसी मैदान के खिलाड़ी है अगर एक मैच में सारे खिलाड़ी असफल हो जाते है तो भी टीम में निराशा नहीं आती बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ दूसरी पारी के साथ खेल भावना को रखते हुए लग जाता है। 9 जनवरी की तिथि कोई अन्तिम नहीं थी। निराश और परेशान होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मजबूत थी मजबूत है और मजबूत ही रहेगी।

150 वर्षों का यह आन्दोलन इतनी जल्दी अन्त हो जाये ऐसी सम्भावना नहीं है क्योंकि विकास की जो इबारत हम सबने मिलकर लिखी है उसे नजरअन्दाज करना इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के लिए आसान नहीं होगा जो नया अध्याय हम लिखना चाहते है वह अध्याय लिखकर रहेंगे। विघ्न या बाधायें चाहे जितनी भी आवें परन्तु यह हमारी मानसिकता को नहीं बदल सकती।

आज जो अनिश्चितता है निश्चित रूप से कल वह समाप्त होगी भारत सरकार द्वारा जो भी जानकारी चाही गयी है प्रपोजलों के माध्यम से हमारे साथियों द्वारा प्रेषित की जा चुकी है अन्य जो जानकारियां है वह भी भारत सरकार के पास उपलब्ध है।

मान्यता के लिए न तो संख्याबल की आवश्यकता है और न क्षेत्र की। यहां तो संख्या भी पर्याप्त है और क्षेत्र के नाम पर पूरा भारत वर्ष है भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर इलेक्ट्रो होम्योपैथ की उपस्थिति न हो। यह सरकार की उपेक्षा है कि न तो वह हमारे चिकित्सकों की तरफ ध्यान दे रही है न ही हमारे कार्य की तरफ़ वर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, धीरे–धीरे हर सीमा का अन्त भी होता जा रहा है एवं अब वह समय भी आ चुका है जब अनिश्चितता समाप्त होकर नीश्चितता में बदल जायेगी।

अभी भी नहीं बनी एकरुपता

राम चरित मानस में एक पंक्ति है :–

जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना।
जहाँ कुमति वहाँ विघ्न विधाना।।

तात्पर्य जो कार्य अच्छे मन के साथ किया जाता है उस कार्य की सिद्धि तो होती ही है, साथ साथ अन्य भी रास्ते बनते हैं, इसके विपरीत जहां कुमति होती है वहां कार्य सिद्ध होने में तरह तरह के विघ्न पैदा होते हैं, इस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो परिस्थितियां हैं वह उपर्युक्त पंक्तियों को स्वतः स्पष्ट कर रही हैं 28 फरवरी, 2017 के बाद हमें जो अवसर लगातार मिल रहे हैं वह निश्चित तौर पर किसी उपलब्धि से कम नहीं हैं, जिस तरह से लोगों ने हड़बड़ी में प्रथम आवृत्ति में अपने प्रपोज़ल भारत सरकार को भेज दिये और उन प्रपोज़लों का जो हश्र हुआ, उसके उपरान्त भारत सरकार ने जो सहजता दिखायी और एक नई दिशा जिसे हम आसान दिशा कह सकते हैं हम सब साथियों को दी वह एक घटना मात्र नहीं थी वरन वह एक और अवसर था जो हमें अपनी भूल सुधार का अवसर प्रदान करता है।

प्रारम्भिक दिनों में तो कुछ दिनों तक ऐसा दिखायी पड़ रहा था कि मानो हर तरफ़ सबकुछ सामान्य है सभी के मन में एक तरह के ही भाव थे कि किसी भी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कल्याण हो और वर्षों से प्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त हो, ज्यों–ज्यों समय आगे बढ़ता गया लोगों के विचार परिवर्तित होने लगे, लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो आगे आ जायेगा वही बाजी मार ले जायेगा, इसका परिणाम यह हुआ ऊपरी स्तर पर तो एकता और सहभागिता की बात तो खूब दिखायी पड़ी, एक मत और एक दृष्टि की बात खूब चर्चा में रही, शहरों–शहरों में मीटिंगे हुईं, खूब चर्चायें हुईं, एक दूसरे से मुलाकातों का दौर भी खूब चला, लोगों ने अपनी बात कही, दूसरों की सुनीं परन्तु दिसम्बर आते–आते सबकुछ साफ़ हो गया, अर्थात न कोई किसी की मान रहा था और न कोई रूकना चाहता था,इसी का परिणाम था कि 31 दिसम्बर तक भारत सरकार के पास प्रपोज़लों का जाना प्रारम्भ रहा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी संख्या में प्रपोज़ल भेजे जायेंगे।

जिन लोगों ने प्रपोज़ल भेज दिये वह पहले दिन से ही यह चिल्लाने लगे कि उनका प्रपोज़ल स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें ही प्रपोज़ल के आधार पर मान्यता मिलेगी, अपनी बात की पुष्टि के लिए लोगों ने तरह–तरह के हथकण्डे अपनाये, किसी ने मंत्रालय की मुहर भी लगाकर दिखायी तो किसी ने अवर सचिव के कार्यालय के बाहर का दरवाजा दिखाया और जो ज़्यादा ताकतवर थे उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जे0 पी0 नड्डा साहब का कार्यालय दिखाया, तो कुछ ने श्रीमती अनुप्रिया पटेल का दरवाज़ा दिखा दिया अर्थात जिससे जो कुछ बन सका उसने वह सबकुछ किया।

जिन लोगों ने प्रपोज़ल नहीं दिया उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई अर्थात 10 महीने तक जितनी भी धमा– चौकड़ी हो सकती थी मचायी गयी परन्तु जो नीयति को स्वीकार होता है परिणाम वही होता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जो कुछ सामने दिख रहा है वही सत्य है, प्रायः यही होता है कि जो बहुत अधिक बड़बोला होता है और जो सक्रियता भी काफ़ी दिखाता है वह परिदृष्य से गायब हो जाता है।

नेपथ्य भी अवसर वह कर गुज़रता है कि जिसकी सामान्य व्यक्तियों को कल्पना में भी सोच नहीं होती है और यह परिणाम तब चौंकाने वाले ही होते हैं, कुछ ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो शोर तो बहुत मचाते हैं बहुत सारी कोचिंगे भी पढ़ते हैं ऐसा प्रदिर्शत करते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलेगी वहीं दूसरी ओर कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के शान्ति मन के साथ एकचित होकर अपने लक्ष्य को भेदने के लिए लगे रहते हैं, वह बिना शोर के सफ़लता प्राप्त करते है जिसे लोग अप्रत्याशित कह देते हैं, जबकि यह सफ़लता अप्रत्याशित नहीं होती है, इसके पीछे होती है वर्षों की तपस्या त्याग और लगन।

निरन्तरता कभी भी निराश नहीं करती है यदि व्यक्ति निरन्तर अपने लक्ष्य को भेदने में लगा रहे तो सफ़लता न मिले यह सम्भव ही नहीं है। 9 जनवरी, 2018 को जिस तरह के परिणाम आये वह निश्चित रूप से सराहनीय नहीं कहे जा सकते हैं, यदि 9 जनवरी को साक्षात्कार के पूर्व जिन 8 लोगों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था वह आपस में चर्चा करते और यह प्रयास करते कि कमेटी के सामने जो कुछ भी कहेंगे वह एक मत होकर कहेंगे, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं कही जायेगी जिससे कि कमेटी को कुछ कहने का अवसर मिले, लेकिन इसे विडम्बना ही कहेंगे कि ऐसा कुछ सम्भव नहीं हो पाया और निर्णय कुछ दिनों के लिए और प्रतीक्षित हो गया।

यह जो विघ्न है वह स्वतः नहीं आया अपितु इसके पीछे कहीं न कहीं हम सबकी सोच है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच, एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की सोच और इसी सोच ने इस विघ्न को जन्म दिया है, जिस 20 फरवरी की बात की जा रही है वह बात कितनी सत्य है यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा परन्तु यह सत्य है कि 20 फरवरी को लेकर जिस प्रकार की चर्चायें आम हो रही हैं वह हमारे नेताओं की व्यग्रता का चित्रण कर रही हैं जैसाकि बताया जा रहा है कि 9 फरवरी को जिस कमेटी का सम्बन्ध हमारे साथियों से हुआ था उन साथियों से साक्षात्कार के बाद कमेटी के किसी सदस्य ने मौखिक रुप से यह कहा था कि आज जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आप सबको यहाँ आमन्त्रित किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति आज आप लोगों द्वारा दी गयी जानकारी से पूरी नहीं हो पा रही है अस्तु जो अंश अभी अछूते हैं उन अंशों से सम्बंधित जानकारी हेतु 20 फरवरी, 2018 को पुनः मीटिंग होगी, यदि यह बात सत्य है तो प्रश्न यह पैदा होता है कि 9 जनवरी की मीटिंग में जिन 27 लोगों को आमंत्रित किया गया था क्या उन सभी को पुनः बुलाया जायेगा ? या फिर उन 8 लोगों को ही पुनः अवसर प्राप्त होगा जिन्हें 9 जनवरी, 2018 को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था।

जो कुछ भी होगा सब सामने आयेगा परन्तु हम सबको उस बात की तैयारी तो करनी ही चाहिये जिसकी जानकारी हमें समिति को उपलब्ध करानी है, जो बिन्दु इस बार उठाये गये हैं वह सरकार को जानना आवश्यक है क्योंकि मान्यता के बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिये एक–एक बिन्दु सरकार को स्पष्ट होने चाहिये पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम से जुड़ी विभिन्न जानकारियां लेना सरकार का महज़ एक दायित्व निभाना ही नहीं हैं अपितु इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर ही कमेटी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता के लिये कोई दिशा निर्देश तय करेगी।

आज की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने के लिये भारत सरकार द्वारा 25 नवम्बर, 2003 को जारी आदेश ही प्रभावी है अर्थात इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बैचुलर और मास्टर जैसे कोर्सों का संचालन नहीं हो सकता है साथ–साथ टर्म डॉक्टर का भी उपयोग नहीं कर सकते ऐसी परिस्थितियों में कमेटी को कोई नीतिगत निर्णय लेने के लिये प्राप्त जानकारी का होना अतिआवश्यक है जिससे कि नई व्यवस्था निर्मित हो सके।

विषय से भटकता आन्दोलन

कभी–कभी ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जिस वस्तु को पाने के लिये व्यक्ति जीवनपर्यन्त प्रयासरत रहता है उसके जीवन में ऐसा अवसर भी आता है जब उसे यह लगने लगता है कि उसके वर्षों के प्रयासों का परिणाम अब प्राप्त होने वाला है, उस समय प्राप्त होने व अपने परिश्रम की आत्ममुग्धता से बना बनाया काम हाथों से फिसल जाता है, ऐसी परिस्थितियां न केवल निरन्तरता में व्यवधान डालती हैं अपितु एक चलती हुयी लय भी टूट जाती है, यदि ऐसी घटना व्यक्तिगत जीवन में घटे तो उसका प्रभाव मात्र उस व्यक्ति पर या उससे जुड़े परिवार पर ही होता है परन्तु जब इस प्रकार की घटनायें किसी सामूहिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं तो परिस्थिति बहुत विकट हो जाती हैं।

कोई भी आन्दोलन किसी ख़ास उद्देश्य को लेकर ही चलाया जाता है और उस आन्दोलन की सफलता के लिये कुछ अंग भी होते हैं यदि उन अंगों की प्रपूर्ति नहीं की जाती है तो उद्देश्य के पाने में या तो विलम्ब हो जाता है या फिर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अब यह आन्दोलन की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आन्दोलन का स्वरुप क्या है और आन्दोलन का उद्देश्य क्या है ?कुछ आन्दोलन ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति के लिये सरकार को कुछ ख़ास नहीं करना पड़ता है और कुछ आन्दोलन ऐसे होते हैं जिनपर निर्णय लेने के लिये सरकार को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां व उपलब्धियां जानना आवश्यक हो जाती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन भी एक पृथक तरह का आन्दोलन है, यह वह आन्दोलन नहीं है जहाँ धरना, प्रदर्शन व हिंसा के माध्यम से सरकार को बाध्य किया जाये, हाँ ! धरने प्रदर्शन वहाँ आवश्यक हैं जहाँ आपको लगने लगे कि सरकार जानबूझ कर आपकी उपेक्षा कर रही है तब धरनों, प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है और किसी हद तक सरकार पर दबाव भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में धरने प्रदर्शनों जैसे अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया है इतिहास साक्षी है कि अनेकों अवसरों पर हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथियों को धरने का भी सहारा लेना पड़ा है परन्तु यह कार्यक्रम हमने तभी स्वीकारे हैं जब राज्य सरकारों ने या केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के आन्दोलन को ध्वस्त करने का प्रयास किया, जब–जब केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है तब–तब हमारी संगठन शक्ति प्रभावी रही है और सरकार के हर मनसूबों पर पानी फेर दिया है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन एक रचनात्मक आन्दोलन है और यह हमें भी पता है कि हमारी स्वीकारिता तभी होनी चाहिये जब हम अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देंगे, चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है और इसका सीधा सम्बंध मानव जीवन से है, इस चिकित्सा पद्धति के विकास और विस्तार से मात्र भारत वर्ष ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की मानवता को लाभ मिलेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं जब–जब हमारी परीक्षा ली गयी है तब–तब हम किनारे से नहीं अपितु अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुये सीधे–सीधे सामने आये हैं, इसके बाद भी इस पद्धति की उपेक्षा ! वर्षों तक चले आन्दोलन को चन्द अधिकारियों की हठधर्मिता से बर्बाद होते देखा नहीं जा सकता है परन्तु आज स्थिति बिलकुल भिन्न है भारत सरकार ने अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सकारात्मक कार्य करने प्रारम्भ कर दिये हैं लेकिन अभी भी जो गति है वह कभी–कभी सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देती है।

मात्र प्रपोज़ल मांगने के नाम पर 10 महीनों का लम्बा समय व्यतीत कर देना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं लगता, ख़ैर जो कुछ भी गुज़रा गुज़र गया अब 9 जनवरी के बाद जिस तरह की लम्बाई बढ़ाई जा रही है वह कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है, अब मात्र आश्वासनों व मौखिक निर्देशों से काम नहीं चलने वाला है, जानकारी के नाम पर सरकार ज़्यादा लम्बाई बढ़ाने का प्रयास न करे, सरकार के पास एक नहीं अनेकों उपक्रम हैं जहाँ से वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हर छोटी बड़ी जानकारी उपलब्ध ही कर रही है, बड़ा गज़ाक लगता है जब सरकार के अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जानकारी माँगते हैं, पिछले 63 वर्षों से सरकारें सिर्फ जानकारी ही एकत्रित कर रही हैं, जानकारी के नाम पर कितनी कमेटियों का गठन किया जायेगा?पिछले 20 साल कमेटियों के गठन और उनसे प्राप्त निर्णयों पर ही गुज़र गये।

पहली कमेटी सन् 1988 में गठित की गयी, दूसरी कमेटी का गठन 1998–99 में हुआ जिसने 5 साल के लम्बे मंथन के बाद 25 नवम्बर, 2003 को जन्म दिया और इस आदेश का स्पष्टीकरण देने में भारत सरकार को 7 साल का लम्बा समय लग गया, 5–5–2010 का स्पष्टीकरण प्रभावी बनाने के लिये हमें 21 जून, 2011 तक जूझना पड़ा, प्रदेश में इस आदेश को लागू कराने के लिये 21 जून, 2011 से 04 जनवरी, 2012 तक जो संघर्ष करना पड़ा वह किसी से आज तक छिपा नहीं है, 2011 के आदेश को पूरे देश में लागू करवाने के लिये जो संघर्ष किये गये उसके परिणाम में एक कमेटी और बन गयी, 2016 में बनी कमेटी 2017 में प्रभावी हुयी, प्रपोज़ल मांगते मांगते 2018 में प्रवेश कर गये अब सरकार विकास की बात कर रही है ! विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुये हम आज तक ज़िन्दा हैं और सरकार को बार–बार ज़िन्दा होने का प्रमाण दे रहे हैं, किसी नेता ने कहा था कि ज़िन्दा कौमें 5 साल तक इन्तेज़ार नहीं किया करतीं लेकिन यहाँ तो 65 सालों से हम हम अपने ज़िन्दा होने का प्रमाण दे रहे हैं।

कब तक ! हम ऐसी प्रतीक्षायें करते रहेंगे ?कभी विकास के नाम पर, कभी अविकसित होने का तमग़ा देकर हमारे साथ छल किया जाता रहेगा, सहनशीलता की भी एक पराकाष्ठा होती है, हम जैसे हैं, आपके सामने हैं, जो भी स्वरुप है, आपके समक्ष है, हमारी स्वीकारिता में विलम्ब की अब कोई वजह नहीं दिखायी पड़ती है, विज्ञान से, कार्य से, साहित्य से व उपादेयता से इलेक्ट्रो होम्योपैथी पीछे नहीं है हमें अवसर तो दीजिये, सरकार के सहयोग एवं समर्थन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में छिपी हुयी प्रतिभायें निकलकर बाहर आयेंगी और हो सकता है कि इन्हीं में कोई सी0 वी0 रमन हो या कोई नीलेश कुलकर्णी जैसा विज्ञान का महारथी भी हो सकता है, प्रकृति से प्राप्त पौधों की ऊर्जा के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का जो मैटी का भरोसा था उस भरोसे को कायम भी रखना है, सरकार के साथ–साथ कुछ व्यवहारिक दायित्व हमारे साथियों के भी हैं सरकार जो कर रही है वह उसे करने दीजिये निर्णय की प्रतीक्षा में हमें अपना कार्य बाधित नहीं करना चाहिये, निर्णय जो कुछ भी हो ! कार्य बन्द नहीं होगा क्योंकि कार्य ही हमारी पहचान है और सही मायनें में सरकार हमारा काम ही तो देखना चाहती है। हम जो भी दावे कर रहे हैं उन दावों को समय–समय पर हमें ही अपने कार्य से सिद्ध करना है क्योंकि किसी भी चिकित्सा पद्धति की जब उपयोगिता तय होती है तभी उसकी निश्चितता बढ़ती है, कार्य की उपयोगिता के लिये हमें किसी बहुत बड़े जन समूह की आवश्यकता नहीं है, हम जिस और जितने क्षेत्र में अपने कार्य से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें सरकार को हम उसी से प्रभावित करेंगे, उदाहरण के रुप में दो ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित जगह पर है और यह दोनों ही पद्धतियां ही भारत सरकार से मान्यता प्राप्त की श्रेणी में आती हैं इनमें से एक है सिद्धा व दूसरी है सोवा–रिग्पा जहाँ एक ओर सिद्धा दक्षिण भारत के कुछ ही क्षेत्रों में प्रभावी है वहीं दूसरी ओर सोवा–रिग्पा केवल हिमालयन क्षेत्र में ही प्रभावी है, कहने का आशय यह है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिये यह आवश्यक नहीं है कि इस चिकित्सा पद्धति का क्षेत्र कितना बड़ा है और उस चिकित्सा पद्धति से कितने लोग जुड़े हैं ! महत्वपूर्ण यह है कि मान्यता पाने वाली चिकित्सा पद्धति कितनी जनोपयोगी है ! जहाँ सिद्धा और सोवा–रिग्पा आयुर्वेदा से सन्निकटता की बात करती है और यह दावा भी करती है कि उनकी औषधियां आयुर्वेदिक के सिद्धान्तों पर आधारित हैं परन्तु स्वभाव व प्रभाव पृथक हैं, ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथी से भिन्न है परन्तु इसकी औषधियों की निर्माण विधि जी0 एच0 पी0 से प्रमाणिक है जी0 एच0 पी0 में जो औषधि निर्माण में तीसरा विधान स्पैजिरिक का है वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही है और इस प्रकार इसकी निकटता होम्योपैथी से है।

अब सरकार के सामने ऐसा कौन सा धर्मसंकट है ! जो वह निर्णय नहीं ले पा रही है ! पाठ्यक्रम और उपाधियों का कोई विवाद नहीं है यदि सरकार को लगता है कि पाठ्यक्रम में पुनर्विचार की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम को पढ़ाने वालों की योग्यता और अधिक होनी चाहिये तो यह तो सरकार के विवेक का मामला है, सरकार तय कर दे जो सबको स्वीकार होगा, इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया जो अभी तक भारत सरकार के निर्देश पर स्वतंत्र नियामक की भूमिका पर कार्य कर रही है यदि सरकार कुछ और दायित्व देना चाहती है तो हम सरकार के साथ हैं और हर भूमिका में अपने आपको प्रस्तुत करने के योग्य भी हैं, लेकिन हमारे साथियों को चाहिये कि अधिकार और कर्तव्य में अधिकारों की चाहत में कर्तव्य से विलग न हों, कर्तव्य करते रहेंगे तो प्राप्त अधिकार और सुदृढ़ होंगे सरकार आपको सुरक्षा और संरक्षण देते हुये विकास के नये अवसर प्रदान कर सकती है परन्तु इस विकास के लिये जिस कार्य की आवश्यकता होती है वह हमारे साथियों को ही करनी होगी, प्रायः असाध्य बीमारियों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम सम्मान से लिया जाता है, कैन्सर के लिये जिस दावे से हम नारा देते हैं YES WE HAVE ANSWER TO CANCER तो यह नारा केवल नारा ही नहीं रहे अपितु इसे हम मूर्त रुप भी दें। इसे हम विडम्बना ही कहेंगे कि कैन्सर जैसे गम्भीर रोगी इलेक्ट्रो होम्योपैथों के पास महज़ इसलिये भेजे जाते हैं कि अब अन्य किसी पद्धति में लाभ की कोई गुंजाईश नहीं है अंतिम समय इस विधा को भी अपना लो ऐसे एक नहीं बहुतेरे उदाहरण हैं जब अंतिम अवस्था के रोगी इलेक्ट्रो होम्योपैथों के पास आते हैं जब सब समर्पण कर देते हैं तब इलेक्ट्रो होम्योपैथ से चमत्कार की अपेक्षा की जाती है, हम तब भी उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और रोगी के पास जो भी महीने–दो महीने का समय शेष होता है हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ यह प्रयास करता है कि रोग से मुक्ति तो नहीं कष्ट से मुक्ति अवश्य दिला दे यह कोई माने या न माने परन्तु हमारा चिकित्सक पैथी के प्रति और ज़्यादा समर्पित हो जाता है। हमारे नेताओं को चाहिये कि वे जितनी ऊर्जा आन्दोलन में लगाते हैं अब वह उतनी ऊर्जा इस रचनात्मक आन्दोलन में लगायें जितना प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से वे व्यक्तिगत करते हैं उसका यदि एक हिस्सा भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस रचनात्मक आन्दोलन के लिये कर दें तो जो सरकार की मांग है कि कार्य बताओ ! वह स्वतः स्पष्ट हो जायेगा, 4 फरवरी विश्व कैन्सर दिवस के रुप में मनाया जाता है यदि इस दिन सारे देश में हम अपनी उपलब्धियां बताते तो सरकार में बैठे अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता से और परिचित हो जाते और 1951 के स्व0 डा0 नन्द लाल सिंहा के रचनात्मक आन्दोलन की याद भी ताज़ा हो जाती, वर्तमान में केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय श्री अश्वनी चौबे जी का कैन्सर के सन्दर्भ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से बहुत करीब का अनुभव है माननीय चौबे जी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गुणवत्ता को परखा और देखा भी है।

आज समय की माँग है कि इसी तरह के रचनात्मक आन्दोलनों को धार दी जाये जिससे भारत सरकार की जो जानने की जिज्ञासा है वह शान्त हो और सुदृढ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास हो।

भटकाव यथा स्थिति में

समय ज्यों–ज्यों व्यतीत होता जा रहा है जिज्ञासायें उतनी ही बढ़ती जा रही हैं, भारत वर्ष का जितना भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ है वह सारा का सारा अब इस प्रतीक्षा में है कि इतनी घटनाओं के घटने के बाद अब परिणाम क्या होंगे ?

पिछले एक वर्ष से निरन्तर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की चर्चायें सुनना आम बात हो गयी थी, देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहाँ से यह आवाज़ न आ रही हो कि अब शीघ्र ही भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान कर दी जायेगी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी में आ जायेगी, नवम्बर 2016 से आन्दोलन का जैसा ताना–बाना बुना गया उससे हमारा हर साथी आश्वस्त हो गया था कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।

पिछले चार वर्षों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नेतृत्व चन्द नये लोगों के हाथ में आया यह नये लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए तो नये नहीं थे परन्तु नेतृत्व के मामले में यह सारे चेहरे नये थे, चार वर्षों के भीतर हर फ्रन्ट का प्रयोग करते हुए पूरे देश में अपनी पहचान बना ली और लोगों को यह सन्देश देने में कुछ हद तक सफल भी यह हुए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो वही ला सकते हैं। वरिष्ठ जनों को झूठा ठहराया गया उनके किये हुए हर कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाये गये और तो और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की परिभाषा को बदलने का पूरा प्रयास किया गया, सन् 2003 से 2012 तक की शान्ति ने इलेक्ट्रो होम्योपैथों के मन में पुराने नेतृत्वकर्ताओं के प्रति अविश्वास को जन्म दिया था, हमारे इन नवजवान साथियों ने इस अविश्वास का भरपूर लाभ उठाया और लोगों को यह बताया कि सन् 2003 से 2010 तक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो अघोषित बन्दी रही है उसके दोषी यही वरिष्ठ जन ही थे।

कुछ अनर्गल बातें भी प्रसारित की गयीं, समय की ऐसी मार पड़ी कि जो कुछ वरिष्ठ अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को स्थापित मानते थे, उनके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य हो गये जिसका दुष्परिणाम बहुत दिनों तक हमारे साथियों को भोगना पड़ा, परिणामतः देश का लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथ हताश और निराश हो गया, समय की बात हजारों इलेक्ट्रो होम्योपैथों ने अपना व्यवसाय बदल लिया ऐसा नहीं है कि उस समय स्थितियां बहुत खतरनाक हों पर इलेक्ट्रो होम्योपैथ इतना भयभीत था कि उसके अन्दर की संघर्ष क्षमता समाप्त प्राय सी हो गयी थी।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का दुष्प्रचार भी खूब किया गया इसके मूल में वह लोग थे जो सिर्फ धनोपार्जन के लिए इस क्षेत्र में आये थे जैसे ही नियमों की बन्दिशें लगीं हमारे यही साथी नियमों को स्वीकार न करके पलायन कर गये और यही कुछ लोग समूह में बंट कर पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरोधी स्वर के रूप में उभरने लगे। उदाहरणतः केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उसी समय– अवधि में क्लीनिकल इस्टेबिलश्मेन्ट एक्ट लागू करने लगीं जिसके तहत मान्यता प्राप्त चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय हेतु पंजीयन कराना था भयभीत इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस पंजीयन की बात से घबराने लगा इसके बजाय कि परिस्थितियों का सामना किया जाये, पलायन वादी हो गया, यह प्रकृति का नियम है कि अधिसंख्य में वही लोग होते हैं जो परिस्थितियों का सामना करने के स्थान पर पलायन वादी होना ज़्यादा पसन्द करते हैं और यही पलायनवादी लोग सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी ऐसे लोगों की संख्या अधिक है, इन्हीं लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में और उनके नेतृत्व कर्ताओं के बारे में अनर्गल प्रलाप किया, परिणामतः अविश्वास इस कदर बढ़ गया कि परस्पर ही एक दूसरे के प्रति शंका के भाव ने जन्म लिया इन्ही सारी परिस्थितियों के कारण जो हमारे नये नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया और साथियों के मध्य यह बात बताने में सफल हो गये कि अब उन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कल्याण सम्भव है। सन् 2012 से 2016 तक पूरे देश में घूम–घूम कर तरह तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को समझाया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि एक नया समूह बन कर उभरा, इधर तमाम सारे परिवेदनों और वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, इस सरकार ने ऐलोपैथी से वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को अलग कर दिया और आयुष मन्त्रालय का गठन कर दिया।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधनों में बार–बार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास की चर्चा की, प्रधनमंत्री जी ने यह भी कहा कि भारत वर्ष वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का घर है इसलिए सभी परम्परागत एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का पूर्ण विकास होना चाहिये, जैसे ही आयुष मन्त्रालय पृथक हुआ वैसे ही सरकार ज्यादा सक्रिय हुई, फाइले खंगाली गयीं और यह निर्णय लिया गया कि जो चिकित्सा पद्धतियां / थेरापियां अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी हैं या फिर मान्यता के लिए प्रतीक्षारत हैं उनका तत्काल निर्णय किया जाये।

परिणामतः वर्ष 2016 के अक्टूबर महीने में भारत सरकार ने एक इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन किया और इस कमेटी को यह दायित्व सौंपा गया कि वर्षों से प्रतीक्षित इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के नियमन की व्यवस्था की जाये व नियमन के लिए जो आवश्यक और वांछित जानकारी हैं उन्हें एकत्रित कर नियमन की गति बढ़ायी जाये 28 फरवरी, 2017 से यह इन्टर– डिपार्टमेन्टल कमेटी ज़्यादा संक्रिय हुई और इस कमेटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितीकरण की दिशा में कार्य करते हुए यह निर्णय लिया कि पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं, संगठनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जानकारी एकत्रित की जाये, तभी तो भारत सरकार द्वारा गठित इस इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी ने पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों से जानकारियां एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रपोज़ल के रूप में जानकारियां मांगी, जैसे ही सरकार द्वारा प्रपोज़ल भेजने की घोषणा की गयी पूरे देश में प्रसन्नता की लहर फैल गयी जिसे जैसे बन पड़ा एक दूसरे को सूचनायें देने लगे इसका परिणाम यह हुआ कि चन्द दिनों में पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों के अन्दर एक नई चेतना ने जन्म ले लिया।

यह चेतना आना तो अच्छी बात है परन्तु हमारे साथियों ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को इस तरह से प्रकाशित किया कि मानों इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के गठन की घोषणा होते ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल जायेगी, जबकि यह बात कितनी सच है यह हर समझदार आदमी समझता है और यहीं से भटकाव प्रारम्भ हुआ।

लोगों को यह समझ में ही नही आ रहा था कि जो वादे और जो घोषणायें कर दी गयी हैं उन्हें कैसे व्यवहार के रूप में लाया जाये, फरवरी से लेकर दिसम्बर 2017 तक का समय सिर्फ इन बातों में काट दिया गया कि प्रपोज़ल भेजे जा रहे हैं, हमारा प्रपोज़ल स्वीकार हो गया है, हमारे प्रपोज़ल पर ही काम हो रहा है अर्थात जितने मुहँ उतनी ही बातें, इसका परिणाम यह हुआ कि खेमों में बंटे लोग अपनी–अपनी बातें करने लगे लोग प्रतीक्षा करने लगे कि कल क्या होगा?हमारे नये नेतृत्वकर्ताओं ने यह घोषणा तक कर रखी थी कि 31 दिसम्बर के बाद भारत सरकार किसी भी दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की घोषणा कर सकती है परन्तु 31 दिसम्बर के आने के पहले ही भारत सरकार द्वारा एक सूचना जारी कर लोगों को बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा मांगे गये प्रपोज़लों काफी संख्या में हैं, कमेटी ने स्क्रीनिंग करने के बाद पहले 21 लोगों को फिर 6 अन्य लोगों को अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया, जैसे ही 21 लोगों की सूची जारी हुई तो वह लोग मुहँ छिपाने लगे जिन्होंने बड़े बड़े दावे तो कर रखे थे परन्तु सूची से उनका नाम गायब था, अब ऐसे लोग अपनी बात की पुष्टि के लिए नई योजनायें बनाने लगे इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति सामने आये जिन्होंने वर्षपर्यन्त यह कहा कि वह लोग कोई पृथक प्रतिवेदन नहीं देंगे जो प्रतिवेदन पहले गये हैं उन्हीं का सहयोग और समर्थन करेंगे।

दूसरी सूची आयी तो इन लोगों के सारे दावें खुल गये और यह स्पष्ट हो गया कि यह सारे के सारे लोग अपनी महत्वकाक्षांओं के चलते अपने आप को रोक नहीं पाये इसीलिए इन्होंने प्रपोज़ल भेजे, यह तो हमारे साथियों की खुशकिसमती थी कि भारत सरकार ने बिना समय नष्ट किये 9 जनवरी, 2018 का दिन चर्चा के लिए घोषित कर दिया, अब 27 आदमी में पक्ष रखेंगे केवल 8 व्यक्ति, इसपर कई दिन चर्चा होती रही एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया जाने लगा कि जैसे 9 जनवरी को ही सबकुछ निर्णित हो जायेगा। इसी 9 जनवरी को कमेटी को फ्रेश करने के लिए चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, जो लोग आमंत्रित किये गये थे हर व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से अधिक योग्य साबित करना चाहता था, कई चक्रों तक वार्ताओं के उपरान्त भी न तो एक राय बन पायी और न ही अन्तिम क्षणों तक यह निर्णय लिया जा सका कि किसको क्या कहना है परिणामतः 9 जनवरी को जो लोग कमेटी के सामने उपस्थित थे जिसको जो मन में आया वैसा ही उत्तर दिया, इसका परिणाम यह हुआ कि इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के वह सदस्यगण जो हमारे साथियों का साक्षात्कार ले रहे थे परिणामतः संतुष्ट नहीं हुए और परिणाम आज भी प्रतीक्षित है। साक्षात्कार के बाद जब हमारे साथी बाहर आये तब हर व्यक्ति ने अपनी सराहना करते हुए यही प्रमाणित करने का प्रयास किया कि उन्होंने जो बताया वही ठीक था यहां पर भी एकातमता के दर्शन नहीं हुए, हर साथी अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने में लगा था, वह यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं में कितने श्रेष्ठ क्यों न हो परन्तु सरकार जिन शब्दों से प्रभावित हो वही श्रेष्ठता की श्रेणी में आते हैं यह निर्णय सरकार ही अगर करती तो ज़्यादा अच्छी बात होती परन्तु यहां पर भी भटकाव बना रहा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास अब तो बन्द हो जाना चाहिये और यह समझ लेना चाहिये कि आने वाले दिनों में भारत सरकार द्वारा गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह बहुमत के आधार पर लिया जायेगा और वह निर्णय इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए होगा न कि किसी व्यक्ति के लिए, समूह के लिए, संगठन या संस्था के लिए, यह बात अलग है कि किसी भी समूह या संगठन निर्णय को प्रभावित तो कर सकता है परन्तु निर्णय को अपने पक्ष में कर ले अब यह सम्भव नहीं है, दूसरी एक बात और है कि सरकार उन लोगों को भी देख रही है जो परदे के पीछे रहकर लगातार सरकार के सम्पर्क में हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित का कार्य कर रहे हैं उनकी भी अनदेखी नहीं हो सकती।

अब पूरे देश में एक नई चर्चा को जन्म दिया गया है कि 9 जनवरी के दिन जितने भी लोग इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के सामने उपस्थित हुए थे उन्हें 20 फरवरी, 2018 के दिन एक और अवसर दिया गया है कि इस दिन आकर वह लोग अपनी बात कमेटी के सामने रखें तब जाकर कमेटी कोई निर्णय लेगी, इस तरह की चर्चाओं ने एक नये वातावरण को जन्म दे दिया है परस्पर सहयोग के स्थान पर प्रतिद्वन्विता बढ़ गयी है और इस तिथि को लेकर भी तरह–तरह की चर्चायें सुनायी पड़ रही हैं इस समाचार के लिखे जाने तक भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी की तिथि की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। अब प्रश्न यह उठता है कि 20 फरवरी को पुनः बुलाये जाने की योजना किसके मस्तिष्क की उपज है ! जो भी है ठीक है हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाये, जो कुछ भी निर्णय लेना हो सरकार द्वारा ले लिया जाये जिससे कि देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों के अन्दर व्याप्त शंका दूर हो और वह पूरे अधिकार के साथ अपने कार्य में लग जायें सरकार अब क्या जानना चाहती है यह समझ से परे है परन्तु यह भी सत्य है कि सरकार जितनी भी जानकारियां चाहती है उसके पास वह जानकारियां उपलब्ध हैं जहां तक प्रश्न पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की अवधि का है यह सरकार के विवेक पर है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किस तरह के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। सार्टिफिकेट स्तर का, डिपलोमा स्तर का या फिर डिग्री स्तर का जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही व्यवहार में आने लगेगा।

आन्दोलन का समय बहुत हो चुका है प्रतीक्षा करते करते अब हमारे साथी बेचैनी का अनुभव करने लगे हैं, इसलिए भारत सरकार को चाहिये कि अब बिना समय गवांये देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों के भविष्य का निर्धारण करे और एक व्यवस्थित व्यवस्था को जन्म दे।